न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

(रजनी मीणा आर.ए.एस.उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रा0पत्र संख्या :– 70 / 2020
निर्णय दिनांकः– 18.08.2020

उनवान

1. शंकर पुत्र बदरी जाति मीणा निवासी उखलाना तहसील उनियारा जिला टोंक
2. मीठालाल पुत्र बदरी जाति मीणा निवासी उखलाना तहसील उनियारा जिला टोंक

–प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रवण पुत्र मनफुल जाति मीणा निवासी उखलाना तहसील उनियारा जिला टोंक
2. सीताराम पुत्र मनफूल जाति मीणा निवासी उखलाना तहसील उनियारा जिला टोंक
3. रामपति पुत्री मनफुल जाति मीणा निवासी उखलाना तहसील उनियारा जिला टोंक हाल पत्नि रामजीलाल ग्राम पाडली पंचायत हेदरीपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
4. बुद्वि प्रकाश पुत्र लड्डू जाति मीणा निवासी उखलाना तहसील उनियारा जिला टोंक
5. रेखा पुत्री लड्डू जाति मीणा निवासी उखलाना तहसील उनियारा जिला टोंक
6. पाना पत्नि लड्डू जाति मीणा निवासी उखलाना तहसील उनियारा जिला टोंक

–प्रतिपक्षीगण

वाद बाबत् उद्घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अ0 धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थितः– श्री सेतराम चौधरी वकील वकील प्रार्थीगण
श्री प्रेम चन्द जैन वकील प्रतिपक्षीगण

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार है:–

यह कि वादग्रस्त आराजी ख0न0 117 ग्राम उखलाना तहसील उनियारा जिला टोंक मे स्थित है जिसके गत बंदोबस्त मे हाल ख0न0 189 रकबा 0.13 है0, ख0न0 191 रकबा 0.39 है0 कुल किता कुल रकबा 0.52 है0 वाके ग्राम उखलाना बने है जो गतल व अवैध तरिके से वर्तमान मे विपक्षीगण की खातेदारी दर्ज है। साबिक ख0न0 117 वाके ग्राम उखलाना प्रार्थीगण व विपक्षीगण के दादाजी चन्द्रा पुत्र देवा मीणा द्वारा बनाई व बसाई गई संपति है तथा पक्षकारों के दादाजी चन्द्रा पुत्र देवा के कब्जे काश्त मे ही रही हैं। मृतक चन्द्रा पुत्र देवा के 2 पुत्र हुए जिनका नाम मनफुल व बदरी है दोनो की मृत्यु हो चुकी है। बदरी के वारीसान प्रार्थीगण है। तथा मनफूल के 3 पुत्र व 1 पुत्री है जिनके नाम कमशः श्रवण, लड्डू, सीताराम व रामपति है। जिनमे से लड्डू की मृत्यु हो चुकी है। जिनके वारिसान विपक्षी संख्या 4 ता 6 है। बंदोबस्त साबिक ख0न0 117 से बने नवीन ख0न0 189 व 191 वाके ग्राम उखलाना को विपक्षीगण के पिता व दादाजी मनफूल पुत्र चन्द्रा मीना ने बंदोबस्त अधिकारियों व कर्मचारियों से सांठ–गाठ करके अकेले अपने नाम उसके बडे होने का नाजायज फायदा उठाते हुए लगा दी है जबकि प्रार्थीगण उक्त आराजी को 1/2 भाग पर काबिज होकर निरंतर व निर्भाद रूप से कृषि कार्य करते चले आ रहे है।

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

परन्तु विपक्षीगण के मन मे अब बेइमानी आ गई है तथा वह राजस्व रिकार्ड मे गलत तरिके से दर्ज अपने नाम का नाजायज फायदा उठाते हुए उक्त आराजी को किसी अन्य के अंतरित करने पर प्रार्थीगण को उनके हक व हिस्से से बेदखल करने पर आमादा है। जिसका उन्हे कोई हक व अधिकार नही हैं। इसलिए विपक्षीगण को जरियें अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मे यह अधियाचना की है कि प्रार्थीगण का प्रा0 पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण को पाबंद किया जावें कि मूल वाद के निस्तारण तक आराजी ख0न0 189 रकबा 0.13 है0, ख0न0 191 रकबा 0.39 है0 कुल किता कुल रकबा 0.52 है0 वाके ग्राम उखलाना मे किसी भी प्रकार से बेदखल नही करे तथा ना ही किसी अन्य के करावे, रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर का प्रतिपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया प्रतिपक्षीगण के विद्वान अभिभाषक ने बताया हे कि उक्त आराजी प्रतिवादी के नाम उसके कब्जे के आधार पर लगी है । प्रार्थी का उसमें कोई हक एवं हिस्सा नही है।

प्रार्थी एवं प्रतिपक्षीगण के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी । प्रार्थी के अधिवक्ता ने बहस की कि प्रार्थी दादा ने विवादित आराजी को बसाया था । संयुक्त परिवार होने के कारण उक्त आराजी मनफूल के नाम लग गई। प्रतिपक्षीगण के विद्वान अभिभाषक ने बताया हे कि उक्त आराजी प्रतिवादी के नाम उसके कब्जे के आधार पर लगी है । प्रार्थी का उसमें कोई हक एवं हिस्सा नही है। विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी व प्रस्तुत दस्तावेजों का चिंतन, मनन किया गया । वादग्रस्त आराजी मे वादी का हक व हिस्सा है या नही याह मूल दावे की विषयवस्तु है। जिसे अन्तरिम निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र मे निर्णित नही किया जा सकता । न्यायालय एवं न्याय की मंशा यह है कि वादग्रस्त आराजी सुरक्षित रहे। पक्षकारों के स्वत्व एवं अधिकारों का निस्तारण वाद मे साक्ष्य के द्वारा होगा। अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना पत्र मे मुख्य रूप से 3 घटक प्रथम दृष्टया, प्रकरण सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बाबत् विचार किया जाता है। प्रार्थीगण को क्या अधिकार प्रापत होगें यह निर्धारण मूल दावे में प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजान के आधार पर ही निर्धारित होगा। यदि दौराने दावा भूमि अन्यत्र हस्तानान्तरित अथवा खुर्द बुर्द कर दिया जाता है तो दावा प्रस्तुत करने का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। प्रतिपक्षीगण को मूल दावे के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजी को हस्तानान्तरण, बय, बैचान न करने के लिए पाबंद किया जाता है । उभय पक्ष मौके व रिकार्ड का यथास्थिति बनाए रखे ताकि न्याय की मंशा परिलक्षित हो सके।

यह निर्णय आज दिनांक 18.08.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी उनियारा